संख्याः–जी.आई. 73 /28–1–2005

प्रेषक,

डा0 राजाराम,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

उ0प्र0 पुनर्गठन समन्वय अनुभाग–1 लखनऊः दिनॉक 14 जून, 2005

विषयः–आपसी सहमति से एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में समायोजित/ स्थानान्तरित करने के सम्बन्ध में राज्य संवर्गीय कार्मिकों से प्राप्त प्रत्यावेदनों के निस्तारण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम– 2000 की धारा –73 के उपधारा – (2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अनुसार उत्तरवर्ती राज्यों में राज्य सेवा संवर्ग के कार्मिकों का अन्तिम आवंटन भारत सरकार द्वारा किया जाता है।

इसी प्रपरिप्रेक्ष्य में भारत सरकार द्वारा सूचित किया गया है कि उनके समक्ष राज्य सेवा संवर्ग के कार्मिकों द्वारा आपसी सहमति से एक राज्य से दूसरे राज्य में समायोजित/ स्थानान्तरित करने के संबंध में निरन्तर प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये जा रहें है।

भारत सरकार के स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त जिन विभागों /उपविभागों के कार्मिकों का उत्तरवर्ती राज्यों में अन्तिम आवंटन भारत सरकार द्वारा किया जा चुका है उन विभागों के कार्मिकों से आपसी सहमति से एक राज्य से दूसरे राज्य में समायोजित/ स्थानान्तरित करने के संबंध में प्राप्त प्रत्यावेदन पर कार्यवही करनें के लिये उत्तरवर्ती राज्य के संबंधित विभागों को भारत सरकार द्वारा अधिकृत कर दिया गया है। लेकिन ऐसी कार्यवाही करने के लिये भारत सरकार के अनुलग्न पत्र संख्या– 14/79/2002–एस.आर. (एस) दिनॉक 15–09–2004 के अनुच्छेद– 2 में दिये गये निर्देशानुसार उपयुक्त सेवा शर्तें निर्धारित करना होगा।

पुनः स्पष्ट किया जाता है कि राज्य सेवा संवर्ग के कार्मिकों को आपसी सहमति से एक राज्य से दूसरे राज्य में समायोजित/ स्थानान्तरित करने के संबंध में केवल वही विभाग/ उप–विभाग सक्षम होगें, जिनके कार्मिकों का अन्तिम आवंटन भारत सरकार द्वारा किया जा चुका है।

भवदीय,

संलग्नकः– यथोक्त

(डा0 राजाराम)
प्रमुख सचिव।